

I/150273/2023

I/150273/2023

संख्या: 150273 /52526/FCD-IRFC/FCCG/8/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग-1 (वि.आ.निदे.)

:: देहरादून :: दिनांक: 06 सितम्बर, 2023

विषय:-

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय त्रैमासिक किश्त (अक्टूबर से दिसम्बर, 2023) की धनराशि संकमित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय त्रैमासिक किश्त (अक्टूबर से दिसम्बर, 2023) हेतु कुल देय संक्रमण से निम्न तालिका के कॉलम-4 में अंकित कुल ₹243.08 लाख (दो करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत) तथा कॉलम-5 में अंकित कुल ₹243.33.11 लाख (दो सौ तैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, संलग्नक-1) संबंधित निकायों को आवंटित करने हेतु, इस प्रकार कुल ₹245,76.19 लाख (दो सौ पैंतालीस करोड़ छियहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रहजार में)

क्र.सं.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु कुल देय	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1%	निकायों को तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु संकमित धनराशि (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	नगर निगम	982402	9824	972578
2-	(1) नगर पालिका परिषदें (पुरानी)	1160945	11613	1149332
	(2) नगर पालिका परिषदें (नव सृजित)	2500	0	2500
	योग	1163445	11613	1151832
3-	(1) नगर पंचायतें (पुरानी)	286772	2871	283901
	(2) नगर पंचायतें (नव सृजित)	25000	0	25000
	योग	311772	2871	308901
	महायोग	2457619	24308	2433311

नोट:- आंकड़ें पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संकमित/ अवमुक्त की जा रही है:-

- पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय-8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संकमित की जा रही है।
- पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 266/ (वि.आ. निदे.) xxvii(1)/ 2022, दिनांक: 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

- 3^प वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के पत्र संख्या: 36/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांक: 03.04.2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संकमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की गई है।
- 4^प संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यों एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथा:- कूड़ा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन कय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसे:-जीप और स्टॉफ कार कदापि कय नहीं किये जायेंगे।
- 5^प एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक वि कृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।
- 6^प आयोग द्वारा निकायों के परस्पर निर्धारित अंश के आधार पर यदि किसी निकाय को पूर्व में प्राप्त हो रहे अंतरण से कम अंतरण होता है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय को पूर्व में किये गये अंतरण के बराबर धनराशि अंतरित की जायेगी।
- 7^प आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष ₹1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में ₹1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से ₹50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप, इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।
- 8^प यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संकमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0-822/XXVII(1)/ 2014, दिनांक: 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0-1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांक: 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9^प राज्य के वास्तविक निज कर राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि या कमी होने पर स्थानीय निकायों को अंतरित धनराशि की पुनर्गणना की जायेगी तदनुसार ही अंतरित धनराशि का समायोजन किया जायेगा। वास्तविक निज कर राजस्व प्राप्तियों के आंकड़ें महालेखाकार से प्राप्त किये जायेंगे।
- 10^प वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांक: 29 मार्च, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।
- 11^प नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संकमित की जायेगी।

12^प समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांक: 31 दिसम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगे।

13^प संकमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

14^प वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 111469/9 (150)/2019 /xxvii(1)/2023, दिनांक: 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15^प निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

16^प अलोटमेंट आई.डी. संलग्न है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय की अनुदान संख्या :07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा:-

(1) शहरी स्थानीय निकाय (निर्वाचित):-

क्र.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संकमित धनराशि (₹ ह० में)
1-	नगर निगम	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-00-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-राज्य वित्त आयोग-01-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन-69-समनुदेशन।	982402
2-	नगर पालिका परिषद	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-00-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-राज्य वित्त आयोग-02-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन-69-समनुदेशन।	1163445
3-	नगर पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-00-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-राज्य वित्त आयोग-03-नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-69-समनुदेशन।	311772
योग			2457619

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar

Date: 29-08-2023 13:25:46

(सी. रवि शंकर)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि:-

- आज्ञा से,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

॥ देहरादून ॥ दिनांक: ०६ सितम्बर, 2023

1-नगर निगम

(रहजार में)

1

1/150270/2023

1/150270/2023

गडवाल	21	दुगडडा	13751	138	13613	13751
	22	पौडी	34784	348	34436	34784
	23	श्रीनगर	33203	332	32871	33203
पिथौरागढ़	24	पिथौरागढ़	53161	532	52629	53161
	25	धारचूला	17388	174	17214	17388
	26	डीडीहाट	17388	174	17214	17388
रुद्रप्रयाग	27	रुद्रप्रयाग	18797	188	18609	18797
टिहरी	28	नरेंद्रनगर	11833	118	11715	11833
	29	टिहरी	30352	304	30048	30352
	30	मुनिकीरेती ढालवाला	28880	289	28591	28880
	31	चम्बा	12080	121	11959	12080
	32	देवप्रयाग	17570	176	17394	17570
ऊधम सिंह नगर	33	बाजपुर	26735	267	26468	26735
	34	गदरपुर	20937	209	20728	20937
	35	जसपुर	43694	437	43257	43694
	36	खटीमा	45881	459	45422	45881
	37	किच्छ	59754	598	59156	59754
	38	सितारगंज	28265	283	27982	28265
	39	महुआखंडामज	13548	135	13413	13548
उत्तरकाशी	40	उत्तरकाशी	31395	314	31081	31395
	41	दडकोट	16493	165	16328	16493
	42	चिन्वालीसोड	16493	165	16328	16493
योग (2)			1160945	11613	1149332	1160945
3-नगर पालिका परिषद (नव सृजित)						
ऊधम सिंह नगर	43	नगला	2500	0	2500	2500
योग (3)			2500	0	2500	2500
योग नगर पालिका परिषदें			1163445	11613	1151832	1163445
4-नगर पंचायतें						
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	5701	57	5644	5701
	2	भिकियासैण	4356	44	4312	4356
	3	चौरखुटिया	4356	44	4312	4356
बागेश्वर	4	कपकोट	4070	41	4029	4070
चमोली	5	नन्दप्रयाग	6155	62	6093	6155
	6	पोखरी	6128	61	6067	6128
	7	थराली	3779	38	3741	3779
	8	पौपलकोटी	6532	65	6467	6532
	9	गैरसैण	7432	74	7358	7432
	10	बनबारा	4414	44	4370	4414
हरिद्वार	11	झबरेडा	14397	144	14253	14397
	12	लदौर	18019	180	17839	18019
	13	भगवानपुर	11348	113	11235	11348
	14	पिरान कलियर	12759	128	12631	12759

5-नगर पंचायतें (नव सृजित)

(रिंदों से पैतलीस करोड़ छियहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)

3

Date: 29-08-2023 13:24:28

3